



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

अवैध शस्त्र फैक्ट्री बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराध को ही अपनी आय का स्रोत मान कर आपराधिक कृत्य करने वाले अपराधियों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 18.02.2021 को थाना पिसांवा पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए अभियुक्त डाल सिंह पुत्र स्व० अर्जुन सिंह निवासी ग्राम पिपरी दिल्लीपति थाना पिसांवा जनपद सीतापुर को अवैध शस्त्रों का निर्माण करते हुए ग्राम ललवापुर में तालाब के किनारे बनी झोपड़ी से गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से मौके से 02 अदद देशी तंमचे 315 बोर, 01 अदद बन्दूक 12 बोर, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 अदद जिन्दा व 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर, अर्ध निर्मित शस्त्र सामग्री तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। उक्त संबंध में थाना पिसांवा पर 1.मु०अ०सं० 48/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट 2.मु०अ०सं० 49/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। अभियुक्त उपरोक्त अभ्यस्त अपराधी है, जो काफी समय पूर्व से ही अवैध शस्त्र बनाने के कार्य में लिप्त था। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरंतर इसी प्रकार चलती रहेगी।

अभियुक्त का नाम व पता-

- डाल सिंह पुत्र स्व० अर्जुन सिंह निवासी ग्राम पिपरी दिल्लीपति थाना पिसांवा जनपद सीतापुर

बरामदगी विवरण-

- 02 अदद देशी तंमचे 315 बोर, 01 अदद बन्दूक 12 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर, 01 अदद खोखा कारतूस 12 बोर व अर्ध निर्मित शस्त्र सामग्री व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण

अभियुक्त डाल सिंह का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 713/09 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना पिसांवा सीतापुरा
2. मु0अ0सं0 211/20 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना पिसांवा सीतापुरा
3. मु0अ0सं0 48/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट थाना पिसांवा सीतापुरा
4. मु0अ0सं0 49/21 धारा 5/25 आयुध अधिनियम थाना पिसांवा सीतापुरा

गिरफ्तारी करने वाली थाना पिसांवा पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री मो0 खालिद
2. व0उ0नि0 श्री हरिप्रकाश सिंह
3. हे0का0 जंगबहादुर यादव
4. का0 अश्वनी ढाका
5. का0 रामवीर सक्सेना
6. का0 कपिल दूबे
7. का0 सतीश यादव

